हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14.08.25 पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (क) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार वादीगण का वाद –पत्र वाद हेतुक प्रकट नहीं किए जाने के कारण नामजूर किया जाना विधिनुसार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्रथम दृष्टया ही विधिनुसार बनना नहीं पाया जाता है क्योकि वादीगण मूल रूप से अपने कथनों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उन्हे वादग्रस्त आराजी में किस तरह न्यायगमन होता है और उन्हे किस –किस नियम से एवं हिन्दू उत्तराधिकार विधि से हक बनना पाया जाता है।दयालकंवर के दिनांक 03.05.2021 के मृत्यु उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत उनके उत्तराधिकर के रूप में वारिसान को यह सम्पत्ति उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई इन वारिसान के हाथ में भी यह सम्पत्ति उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति/अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आएगी न की पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में क्योकि वारिसान को यह सम्पत्ति उनके पिता/दादा/दादा के पिता से प्राप्त नहीं होने के आधार पर विधिनुसार यह पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आएगी। दयाल कंवर की उपर्युक्त सम्पत्ति धारा 14 के तहत उनके पूर्ण स्वामी की हैसियत से स्वअर्जित सम्पत्ति कहलाएगी और धारा 15 (1) उत्तराधिकारियों के रूप में उनके पुत्रों व पुत्रियों और पति को न्यागत होगी और इसी क्रम में उनके पुत्रों द्वारा प्राप्त की गई उक्त सम्पति पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आएगी। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति दयाल कंवर की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पुत्रो, पुत्रियों व पति को धारा 15 (1) के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो उनकी व्यक्तिगत/अर्जित सम्पत्ति होने से देवेन्द्र व विरेन्द्र आदि के पुत्रों को इस सम्पत्ति पर जन्म से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है।अतः उपरोक्त विवरणानुसार सास व दादी की स्वअर्जित सम्पत्ति के तौर पर उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का किसी भी विधि के तहत कोई हक बनना नहीं पाया जाता है आर न ही उसके आधार पर उनको कोई वाद हेतुक प्राप्त होता है। सम्पत्ति केवल मात्र दयाल कंवर की पृथकत: स्वअर्जित सम्पत्ति थी और यह कहलाएगी और उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 15 के तहत केवल उनके पुत्र ,पुत्रियां एवं पति ही उत्तराधिकारी है और इनको उत्तराधिकर में प्राप्त उक्त सम्पत्ति का उपभोग, उपयोग व हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उनके जीवित रहने तक इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सम्पति पर प्राप्त पूर्ण अधिकार की वजह से उनके पुत्र इनके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रकार वादीगण का हक व हिस्सा नहीं बनना पाया जाता है जब उनका वादग्रस्त सम्पत्ति में हक व हिस्सा नहीं बनना पाया जाता तो उस आधार पर वाद हेतुक प्रकट नहीं हो सकता। वादीगण अपने वाद–पत्र के जरिये यह अभिकथन करने में पूर्णतया असफल रहे है कि किस प्रकार उनको वाद हेतुक दर्शित होता है। लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।
	प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया कि वादी ने वाद पत्र के पद संख्या 8 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 के द्वारा द्वेषभावना से ग्रसित होकर वादीगण को अपने हक हिस्से की उक्त पैतृक सम्पत्ति से वंचित करने की नियत से विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के हक मे हकर्तक करवाने का प्रयास किया वादीगण का वाद पत्र किसी प्रकार से प्रभावित या वर्जित नहीं है वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया कि दयाल कंवर जो वादी संख्या 1 की सास व वादी संख्या 2 की दादी है का निधन दिनांक 03.05.2021 को हुआ तथा उस समय वादी संख्या 2 का जन्म हो चुका था तथा वादी संख्या 1 की शादी भी प्रतिवादी संख्या 2 से दयालकंवर की मृत्यु से पहले हो चुकी थी इसलिए दयाल कंवर की सम्पत्ति मे वादीगण को अधिकार प्राप्त हो गए थे। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
	विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तथ्यों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–
	1. Malliesappa Bandsppa Desai & Ors. V/S Desai Mallappa & Ors. 2. HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B.Civil Revision no 58/2025 Sukhdev V/s Malaram & Ors. 3 Gujarat hig court Maharaj Shri Manvendrasinh Ji V. Rajmata Vijaykunverba 4.AIR 2020 SUPREME COURT 3310 AIRONLINE 2020 SC 634 Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhansusali (Gajra) 5. AIR 2018 S.C. 3152 S.C. Shayam Narayan Prasad vs Krishna Prasad on 2 July 2018
	हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ से बहस सुनी तथा पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया।
	दोनो पक्षो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया गया। यह सुस्थापित है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. (क) के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में मात्र वाद–पत्र का ही अवलोकन किया जाता है। वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी संख्या 1 की सास एवं वादी संख्या 2 की दादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) भिवाना

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दयाल कंवर ने विवादित भूमि को जरिये खरीद प्राप्त हुई । वाद–पत्र के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि की मिताक्षर शाखा से शासित होते है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 अनुसार धारा **14 हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः उसकी अपनी सम्पत्ति होगी**–(1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति ,चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ में पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी स्पष्टीकरण – इस उपधारा में ''सम्पत्ति'' के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण–पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दान द्वारा किसी भी व्यक्ति से,चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से,चाहे वह कैसी ही क्यों न हो,अर्जित की हो और ऐसी सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी ।

उपधारा 2 (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान, विल या अन्य लिखत अथवा डिग्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन ऐसी सम्पत्ति में निर्बन्धित सम्पदा विहित करते हो।

इस प्रकार दयाल कंवर की वाद–पत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित सम्पत्ति उक्त धारा 14 के तहत उनके पूर्ण स्वामी की हैसियत में स्वअर्जित सम्पत्ति है। वाद–पत्र के अनुसार दयाल कंवर का निधन दिनांक 03.05.2021 को हुआ । अतः उनकी जायदाद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में धारा 15 व 16 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का अवलोकन किया जाना आवश्यक है:–

''धारा 15 के हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम

(1) निर्वसीयत करने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी।

(क) प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपतय भी है) और पति को

(ख) द्वितीयतः पति के वारिसों को

(ग) तृतीयतः माता और पिता को

(घ) चतुतर्थ पिता के वारिसों को तथा।

(ड़) अन्ततः माता के वारिसों को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी (क) कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र, पुत्रियों के अपत्य भी आते है) अभाव में उप धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमे विनिर्दिष्ट कम में न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी (ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या उपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री या अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसो को न्यागत होगी।''
	''धारा 16 हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति ''–धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों मे उत्तराधिकार का क्रम और उनवारिसों में निर्वसीयात की सम्पत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों की अनुसार होगा अर्थात–नियम 1 धारा 15 की उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उतरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अन्तर्गत हो, वे साथ–साथ अंशभागी होगे। नियम 2 यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या पुत्री अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोडकर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मुत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती। नियम 3 धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (घ) और (ड़) मे और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की सम्पत्ति उसी क्रम मे और उन्ही नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि सम्पत्ति,यथास्थिति ,पिता की या माता की या पति की होती और व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् उस सम्पत्ति के बारे मे वसीयत किए बिना मर गया होता।
	धारा 15 की उपधारा 1 के अनुसार दयाल कंवर की उक्त विवादित भूमि उत्तराधिकारियों के रूप में उनके पुत्र व पुत्रियों में न्यायगत होगी, जो कि वाद–पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से लेकर 6 तक है। वादपत्र के पैरा संख्या 6 के अनुसार दयाल [illegible] वादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि मे से हिस्सा बतौर पैतृक भूमि प्रा[illegible] है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी होने के नाते वादिनी [illegible] इसमें हिस्सा बताया गया है। पैतृक सम्पत्ति की सम्बन्ध में मानन[illegible] उच्चतम न्यायालय ने श्यामानारायण प्रसाद बनाम कृष्णा प्रसाद (AIR 2018 S.C. 3152 S.C.) के मामले में पैरा संख्या 12 में यह बताया है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) मिवाना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"Para 12.It is setttled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an ancestral property, The essential feature of ancestral property, according to Mitakshara Law, is thalt the sons, grandsons, and great grandsons of the person who inherits it, acquire an interest and the rights acttached to such prooperty at the moment of their birth.The share which a coparcener obtains on partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. After partition, the property in the hands of the son will continues to be tha ancestral property and the natural or adopted son of that son will takes interest in it and is entitled to it by survivorship."

अतः इस न्यायिक दृष्टांत के अनुसार हिन्दू पुरूष द्वारा अपने पिता दादा या दादा को पिता से विरासत में कोई सम्पत्ति प्राप्त होती हो तो वह पैतृक सम्पत्ति कहलाती है परन्तु वाद–पत्र के अनुसार विवादग्रस्त भूमि वादी संख्या 2 को दादी से प्राप्त होना बताया है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आती है। चूंकि वाद–पत्र के अनुसार ही दयाल कंवर को उक्त विवादित या वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है। अतः वादी संख्या 2 की यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है। दयाल कंवर की व्यक्तिगत सम्पत्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पुत्रो, पुत्रियों को धारा 15(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होने से प्रतिवादीगण के पुत्रो को प्रतिवादीगण के जीवित रहते इस वादग्रस्त में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 का धारा 15 (1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्राप्त सम्पत्ति व वादिनी व वादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 2 के जीवित रहते कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वाद–पत्र के अनुसार ही वादीगण के पक्ष में कोई वादकारण उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है। अतः वादकारण के अभाव में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] नियम 11 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी [illegible] वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर खा[illegible]किया जाता है। खर्चा पक्षकारन अपना–अप[illegible] अलग से मुर्तिब हो ।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 73 / 2021

वादीगण:–

1. श्रीमती गरीमासिंह पत्नी विरेन्द्र रतनू पुत्री अर्जुनसिह जुगतावत जाति चारण निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर हाल इन्द्रा कॉलोनी ,पानी की टंकी के पास ,बाड़मेर
2. करणी प्रतापसिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति चारण नाबलिग जरिये कुदरती वली माता गरीमासिंह निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर हाल इन्द्रा कॉलोनी ,पानी की टंकी के पास ,बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पृथ्वीराज पुत्र रामदयाल रतनू जाति चारण निवासी दासोडी तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
2. विरेन्द्र रतनू पुत्र पृथ्वीराज जाति चारण निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
3. देवेन्द्र रतनू पुत्र पृथ्वीराज जाति चारण निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
4. रवि रतनू पुत्र पृथ्वीराज जाति चारण निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
5. अनुराधा पत्नी देवेन्द्र उमरावत पुत्री पुथ्वीराज जाति चारण निवासी माथनिया हाल बी.जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
6. मंजू पत्नी लीलकरण पुत्री पृथ्वीराज जाति चारण निवासी भांडु चारणन हाल बी. जे.एस. कॉलोनी हनवंत ए सेक्टर मकान नम्बर 521 गली नम्बर 05, जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
8. उपपंजीयक तहसील समदडी जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : –08.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत[illegible] [illegible]बर [illegible] अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री [illegible] अधिवक्ता मि[illegible]व मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण का प्राथना पत्र अन्तर्गत [illegible] 11 (क) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर [illegible] वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.08.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना